न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

वादी –

राजस्व वाद संख्या 230/2014

1. नरसिंह पुत्र गोकुलराम
   जाति–माली, निवासी–रोल, तहसील–जायल हाल निवासी–4–100/30/1 कला नगर, हयात नगर मण्डल हैदराबाद (तेलंगाना)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गोकुलराम पुत्र होलाराम जाति–माली निवासी मालियों का बास रोल, तह. जायल
2. मदनलाल पुत्र गोकुलराम जाति–माली निवासी मालियों का बास रोल, तह. जायल
3. भूराराम पुत्र गोकुलराम जाति–माली निवासी रोल हाल निवासी मकान नं. 4–7–200 लिंगमपल्ली, बी.एच.ई.एल. के पास हैदराबाद (तेलंगाना)
4. तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.
दिनांक 19.10.2020

वाद बाबत् अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री हरिश पारीक प्रार्थी/वादी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का दिनांक 19.10.2020 वादी नरसिंह का दिनांक 05.02.2019 को देहान्त हो जाने पर कोरोना महामारी के चलते वकील साहब से सम्पर्क नहीं होने से उसके पिछे विधिक वारिसान क्रमशः 1/1. हीराभाटी, 1/2. मनोज भाटी, 1/3. लक्ष्मीकांत भाटी, 1/4. राजकुमार भाटी जो कि विधिक उतराधिकारी है, को पक्षकार संयोजित करने बाबत् अब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी नरसिंह के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया। जिसकी प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई।

सहायक कलक्टर जायल

18/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

2. वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया। जिसकी प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. में वर्णित तथ्य पूर्णत सही नहीं होने से अस्वीकार किया, साथ प्रार्थना पत्र के म्याद अधिनियम के अन्तर्गत अन्दर मियाद पेश नहीं किये जाने तथा उक्त वाद वर्ष 2014 से विचाराधीन होने की जानकारी होते हुये भी वादी के विधिक उतराधिकारियों ने जानबुझकर पक्षकार बनाये जाने बाबत् पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज किया जावे।

3. वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पर बहस हेतु तारीख नियत की जाकर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने वादी नरसिंह का दिनांक 05.02.2019 को देहान्त हो जाने पर कोरोना महामारी के चलते वकील साहब से सम्पर्क नहीं होने के कारण वादी नरसिंह के फौत होने पर उसके पिछे विधिक वारिसान क्रमशः 1/1. हीराभाटी, 1/2. मनोज भाटी, 1/3. लक्ष्मीकांत भाटी, 1/4. राजकुमार भाटी जो कि विधिक उतराधिकारी है, को पक्षकार संयोजित करने बाबत् अब पेश किया है। हस्तगत प्रकरण के संबध में जानकारी नहीं होने एवं प्रभावी पैरवी हेतु वकील प्रार्थी से सम्पर्क करने में समय लग जाने पर अब पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को सुनवाई बाबत् अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पर बहस के दौरान वादी नरसिंह के फौत होने पर वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने तथा वादी नरसिंह की मृत्यु 05.02.2019 को हो चुकी थी, उसके उपरान्त निर्धारित समयावधि में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. में वर्णित तथ्य मनगढ़त, बनावटी होने से अस्वीकार है अतः बिना किसी उचित कारण व प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने पर मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने से खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पर विवेचन तथा मनन किया गया। दौरान बहस वकुलाय एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा वादी नरसिह की मृत्यु दिनांक 05.02.2019 को होने अर्थात 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी म्याद अधिनियम विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने के संबंध में प्रस्तुत किया। वकील वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 के कन्डॉन प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। पत्रावली, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

सी. तथा जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन यह स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी/वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादी पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की गई है। जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. वकील वादी/प्रार्थी द्वारा बाबत् वादी नरसिंह के फौत होने पर उनके पिछे विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में म्याद अधिनियम की धारा 5 की पालना नहीं करने से काबिले खारिज होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वकील वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी. सी. बाबत् वादी नरसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान को पत्रावली में वादीगण पक्षकार बनाये जाने के संबंधी वादी नरसिंह की मृत्यु दिनांक 05.02.2019 को होने अर्थात 2 वर्ष से अधिक समयावधि के बाद प्रस्तुत करने तथा साथ ही कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ म्याद अधिनियम की धारा 5 के साथ कन्डॉन प्रार्थना पत्र के अभाव में खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

18/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (जिला नागौर)

Scanned with CamScanner